राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :–मु.स.प्र / 2013 / 179 दिनांकः– 7/5/13

आदेश

मण्डल द्वारा विभिन्न शहरों में आवासीय योजनाओं में पंजीकरण / स्ववित्त पोषित योजना के आवासों के लिए पंजीकरण योजनाऐं प्रारम्भ की जाती है। नवीन योजनाओं के लिए वृत कार्यालय स्तर पर प्रकाशित की जाने वाली आवेदन पुस्तिकाओं में निम्न बिन्दुओं का समावेश करें।

1. आवेदन पुस्तिका में वर्णित उल्लेख ''मण्डल बिना लाभ हानि के सिद्धान्त पर चलता है।'' को विलोपित किया जावे।
2. आवेदन पुस्तिका में यह उल्लेख करना अनिवार्य होगा कि भविष्य में सम्पत्ति निस्तारण विनियम,1970 के नियम संख्या 17 व 18 में अभिकथित संबंधित विभागों द्वारा मांग किये जाने पर आवंटी को संपत्ति पर समस्त करों का भुगतान करना होगा जैसे आवास सम्पत्ति कर, नगर निगम कर, विकास कर, **सेवा कर** इत्यादि। अर्थात सेवा कर भुगतान आवंटी द्वारा किया जावेगा।
3. पंजीकरण पुस्तिका में यह उल्लेख करना भी अनिवार्य है कि आवंटी द्वारा निर्धारित मांग राशि जमा कराने पर भवन निर्माण के समय आवंटी को देख रेख योजना के अन्तर्गत आवास के अवलोकन का अधिकार होगा।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

(डॉ0 आर. वेंकटेश्वरन)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष / आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव / मुख्य अभियंता / वित्तीय सलाहकार / निदेशक(विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सहायक,अति.मुख्य अभियन्ता–प्रथम / द्वितीय / तृतीय / पी. एण्ड एम.,राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. उप आवासन आयुक्त, वृत ...., राजस्थान आवासन मण्डल ....
5. आवासीय अभियन्ता, खण्ड–............................., राजस्थान आवासन मण्डल, ...
6. सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर, रा0आ0मं0, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

Desktop-I Letter